



UPRB010033942024

न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायबरेली।

पीठासीन अधिकारी-श्रीमती प्रतिमा, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - UP2637

दाण्डिक अपील संख्या-54/2024

टिना	बनाम	उ०प्र० राज्य
------	------	--------------

दिनांक-23.04.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलकर्ता (दाण्डिक वाद सं०-763/2013 का अभियुक्त) **टिना पुत्र कल्लू उर्फ काली**, निवासी-ग्राम सिगरनखेड़ा, थाना बछरावां, जिला-रायबरेली की फौती रिपोर्ट कागज संख्या-19 ख/1 प्राप्त हुई। इस सम्बन्ध में सी०डब्लू०-1 कां० राजमल, थाना-बछरावां, जिला-रायबरेली का बयान अंकित किया गया। कांस्टेबल द्वारा फौती रिपोर्ट कागज संख्या-19 ख/1 के रूप में दाखिल रिपोर्ट पर स्वयं के लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि की गई है, साक्षी द्वारा फौती रिपोर्ट को प्रदर्श ख-1 से साबित किया गया है। साक्षी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उ०प्र० सरकार द्वारा जारी अभियुक्त टिना के मृत्यु प्रमाणपत्र को पत्रावली पर दाखिल किया गया है।

सुना तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलकर्ता टिना की मृत्यु दिनांक 27.02.2026 को होना स्पष्ट है अतः उसके द्वारा प्रस्तुत अपील उपशमित किया जाना विधि सम्मत है।

आदेश

फौती रिपोर्ट कागज संख्या-19 ख/1 द्वारा अपीलकर्ता-**टिना पुत्र कल्लू उर्फ काली** की मृत्यु दिनांक 27.02.2026 को होना स्वीकृत की जाती है। पत्रावली में अन्य कोई अपीलार्थी/सहअभियुक्त नहीं है। अपीलीय पत्रावली उपशमित की जाती है। प्रस्तुत अपीलीय पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(श्रीमती प्रतिमा)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
रायबरेली।आशुलिपिक
आर्यन पटेल